

प्रारंभिक परीक्षा

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि-सह योजना (PM-MKSSY)

संदर्भ

पुडुचेरी के कराईकल में जल्द ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत एक उन्नत मत्स्य प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। यह योजना मत्स्य पालन के आधुनिकीकरण, मत्स्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और बेहतर बुनियादी ढाँचे एवं बाज़ार पहुँच के माध्यम से मछुआरा समुदायों की आय में सुधार पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) -

- यह प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक चलेगी और इसका कुल बजट 6,000 करोड़ रुपये है।
- वित्तपोषण संरचना:
 - कुल अनुमानित परिव्यय: ₹6,000 करोड़, निम्नानुसार विभाजित:
 - ₹3,000 करोड़ (सार्वजनिक वित्तपोषण) - जिसमें विश्व बैंक से ₹1,125 करोड़, एजेंसी फ्रांसेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) से ₹375 करोड़, और भारत सरकार के समकक्ष वित्तपोषण के रूप में ₹1,500 करोड़ शामिल हैं।
 - लाभार्थी निवेश और निजी क्षेत्र से ₹3,000 करोड़ की प्राप्ति की उम्मीद।
- अवधि और कवरेज
 - अवधि: चार वर्ष, वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक।
 - देश भर में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू।
- लाभार्थी
 - मछुआरे, जलीय कृषि (मछली) किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता, और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में सीधे तौर पर शामिल अन्य लोग।
 - सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs): इसमें स्वामित्व वाली फर्में, साझेदारियां, कंपनियां, सोसाइटियां, एलएलपी, सहकारी समितियां, एसएचजी, एफएफपीओ और मत्स्य पालन/जलीय कृषि से संबंधित स्टार्टअप शामिल हैं।
- मुख्य उद्देश्य:
 - राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) के माध्यम से मछुआरों और उद्यमों के लिए कार्य-आधारित डिजिटल पहचान के निर्माण के माध्यम से असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का औपचारिकीकरण।
 - संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम बनाना, जिससे उन्हें KCC और मुद्रा जैसी सरकारी ऋण योजनाओं से लाभ मिल सके।
 - बीमा खरीदने के लिए जलीय कृषि किसानों को एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना, जिससे जोखिम कम हो सके।
 - प्रदर्शन-आधारित अनुदान:
 - मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार करना तथा मत्स्य पालन सूक्ष्म उद्यमों में रोजगार सृजन करना।
 - मछली और मछली उत्पादों की सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ाना।

स्रोत: द हिंदू

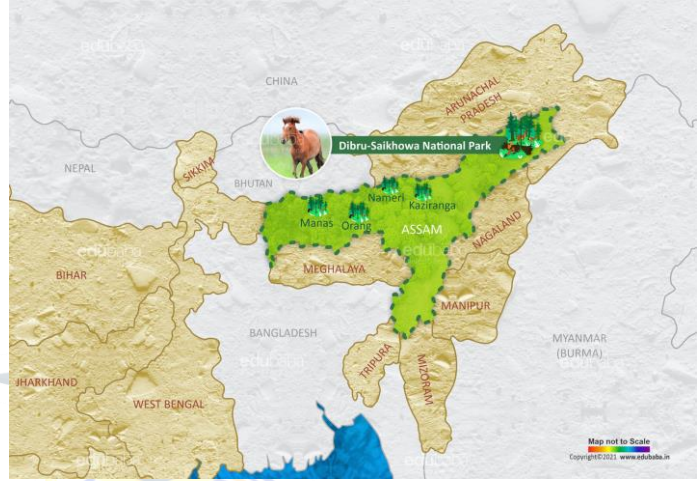
डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान (DSNP)

संदर्भ

एक अध्ययन में पाया गया है कि आक्रामक और देशी "घास के मैदान के आक्रमणकारी" पौधे असम के डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान (DSNP) के नदी पारिस्थितिकी तंत्र को तेजी से बदल रहे हैं, जो भारत में जंगली घोड़ों का एकमात्र निवास स्थान है।

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान -

- **स्थान:** असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है।
- **यूनेस्को दर्जा:** 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया।
- **सीमाएँ:**
 - उत्तर- ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियाँ
 - दक्षिण - डिब्रू नदी
- **वनस्पति:**
 - आर्द्र मिश्रित अर्ध-सदाबहार वन
 - आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन
 - कैनब्रेक्स और घास के मैदान
- **अनूठी विशेषता:** उत्तर-पूर्व भारत में सबसे बड़ा सैलिक्स दलदली वन।
- **जलवायु:** उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार - गर्म, आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडी, शुष्क सर्दियाँ।
- **वनस्पति:** प्रजातियों में डिलेनिया इंडिका, बिशोफिया जावानिका, बॉम्बेक्स सीइबा, लेगरस्ट्रोमिया पारविफ्लोरा आदि शामिल हैं।
- **जीव-जंतु:**
 - बड़े स्तनधारी - बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू
 - छोटी प्रजातियाँ - जंगली बिल्ली, छोटी भारतीय सिवेट, गिलहरी
 - प्राइमेट - स्लो लोरिस, असमिया मैकाक
 - जलीय - गंगा डॉल्फिन
- **जंगली घोड़े:** भारत में एकमात्र निवास स्थान जहाँ जंगली घोड़े पाए जाते हैं।
- **पक्षी (एविफौना):** 382+ पक्षी प्रजातियों के साथ एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) के रूप में पहचाना गया, जिसमें शामिल हैं:
 - ग्रेटर एडजुटेड स्टॉर्क
 - लेसर एडजुटेड स्टॉर्क
 - ग्रेटर क्रेस्टेड ग्रीब, तथा कई अन्य पक्षी।



स्रोत: [द हिंदू](#)

स्वास्थ्य-हत्या(Healthocide)

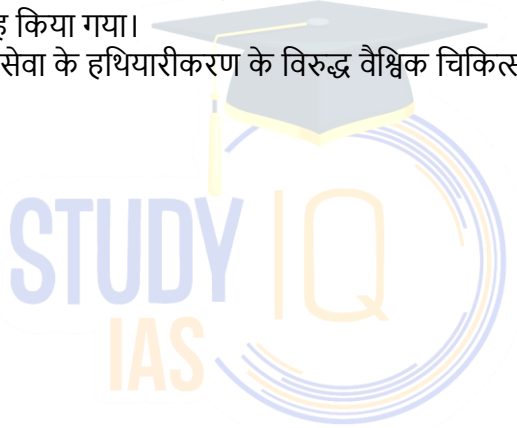
संदर्भ

लेबनान के बेरूत स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने संघर्ष क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के व्यवस्थित विनाश का वर्णन करने के लिए बीएमजे ग्लोबल हेल्थ में "स्वास्थ्य-हत्या(Healthocide)" शब्द गढ़ा।

स्वास्थ्य-हत्या(Healthocide) के बारे में -

- इसका तात्पर्य "स्वास्थ्य सेवा पर नियमित हमलों" से परे संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालियों के विरुद्ध अत्यधिक, जानबूझकर की गई हिंसा से है।
- इसमें चिकित्सकों की हत्या, अस्पतालों पर बमबारी, एम्बुलेंसों को रोकना, चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट करना शामिल है।
- इसे जीवन और सम्मान के लिए आवश्यक सामूहिक कल्याण सेवाओं के नरसंहार रूपी विनाश के समान माना जाता है।
- इसका प्रयोग स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े पैमाने पर पतन को उजागर करने के लिए किया गया था, उदाहरण के लिए, गाजा में।
- स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा की मांग की गई।
- चिकित्सकों और शिक्षकों से उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने और मानवीय कानून के प्रवर्तन के लिए दबाव डालने का आग्रह किया गया।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा के हथियारीकरण के विरुद्ध वैश्विक चिकित्सा समुदाय को प्रेरित करना है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

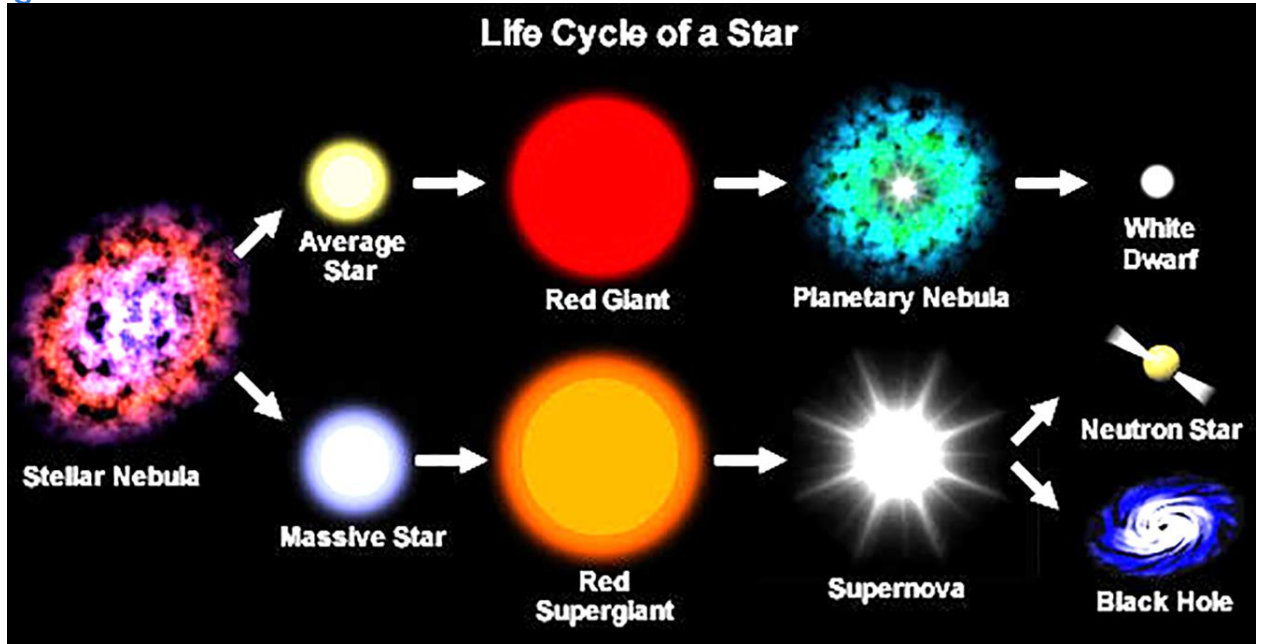


नए प्रकार के सुपरनोवा

संदर्भ

खगोलविदों ने एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में एक नए प्रकार के सुपरनोवा की खोज की सूचना दी है, जो तब उत्पन्न होता है जब एक ब्लैक होल किसी विशाल तारे के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण खींचतान में जीत जाता है।

सुपरनोवा -



- परिभाषा: सुपरनोवा एक शक्तिशाली विस्फोट है जो किसी विशाल तारे के जीवन चक्र के अंत में होता है।
- प्रकार:
 - प्रकार I - यह तब होता है जब किसी द्विआधारी प्रणाली में एक सफेद बौना तारा अपने साथी तारे से बहुत अधिक द्रव्यमान प्राप्त कर लेता है और विस्फोट हो जाता है।
 - प्रकार II - यह तब होता है जब किसी विशाल तारे (सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम 8 गुना) का परमाणु ईंधन समाप्त हो जाता है और उसका कोर ढह जाता है।
- ऊर्जा उत्सर्जन: कुछ ही सेकंड में, एक सुपरनोवा सूर्य द्वारा अपने पूरे जीवनकाल में उत्सर्जित की जाने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है।
- चमक: वे कई दिनों या हफ्तों तक पूरी आकाशगंगा जितना चमक सकते हैं।
- तत्वों का निर्माण: लोहा, सोना और यूरेनियम जैसे भारी तत्व सुपरनोवा में बनते हैं और अंतरिक्ष में फैल जाते हैं।
- ब्रह्मांड में भूमिका: विस्फोट इन तत्वों से अंतरिक्ष को समृद्ध करता है, तथा नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन का भी निर्माण करता है।
- अवशेष: सुपरनोवा के बाद जो अवशेष बचता है वह न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल हो सकता है।
- अवलोकन: कुछ को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है और ऐतिहासिक रूप से दर्ज किया गया है (उदाहरण के लिए, 1054 ईस्वी में क्रेब नेबुला सुपरनोवा)।

स्रोत: द हिंदू

ऑनर किलिंग(Honour Killing)

संदर्भ

अंतर्जातीय विवाहों और दलित सशक्तिकरण के बावजूद तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल में जाति-आधारित 'ऑनर किलिंग' के मामले बढ़ रहे हैं।

'ऑनर' किलिंग क्या है?

- परिवार के किसी सदस्य, आमतौर पर महिला, की रिश्तेदारों/समुदाय के सदस्यों द्वारा कथित रूप से परिवार को बदनाम/शर्मसार करने के लिए हत्या करना।
- पारिवारिक सम्मान, नैतिकता और व्यवहार के बारे में सख्त सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मानदंडों में निहित।
- विवाह, रिश्तों, कामुकता और शील में महिलाओं की पसंद से निकटता से जुड़ा हुआ है।

कारण -

- जाति व्यवस्था:** जातिगत शुद्धता/स्थिति खोने का भय; अंतर्जातीय/समान गोत्र विवाह के प्रति शत्रुता।
- पितृसत्तात्मक मानदंड:** महिलाओं को स्वायत्तता से वंचित किया गया; विवाह को परिवार के सम्मान के लेन-देन के रूप में देखा गया।
- जाति पंचायतें (जैसे, खाप):** अनौपचारिक जाति निकाय दंड देते हैं, अक्सर हत्याएं भी करते हैं।
- लैंगिक असंतुलन:** विषम लिंग अनुपात महिलाओं के विवाह विकल्पों पर नियंत्रण को बढ़ावा देता है।
- सामाजिक स्थिति:** व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत उपलब्धियों पर पारिवारिक सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है।

नतीजे -

- मानवाधिकार उल्लंघन:** जीवन के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला; लैंगिक असमानता को मजबूत करता है।
- सामाजिक प्रभाव:** परिवारों/समुदायों को मानसिक आघात और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक क्षति का सामना करना पड़ता है।
- शासन संबंधी चुनौती:** कमजोर कानूनी प्रवर्तन और सामाजिक दंड के कारण अपराधी न्याय से बच निकलते हैं।
- सांस्कृतिक पिछड़ापन:** महिलाओं की शिक्षा/रोजगार को प्रतिबंधित करता है; प्रतिगामी परंपराओं को बनाए रखता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव:** मानवाधिकार उल्लंघन के लिए वैश्विक आलोचना को आकर्षित करता है, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है।

संवैधानिक पहलू -

- अनुच्छेद 14** - कानून के समक्ष समानता का अधिकार।
- अनुच्छेद 15** - जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
- अनुच्छेद 17** - अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- अनुच्छेद 19** - साझेदार और संघ चुनने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 21** - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अपनी पसंद के साथी से विवाह करने का अधिकार शामिल है।
- अनुच्छेद 39(f)** - राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे शोषण से मुक्त हों और उन्हें विकास के अवसर दिए जाएं।

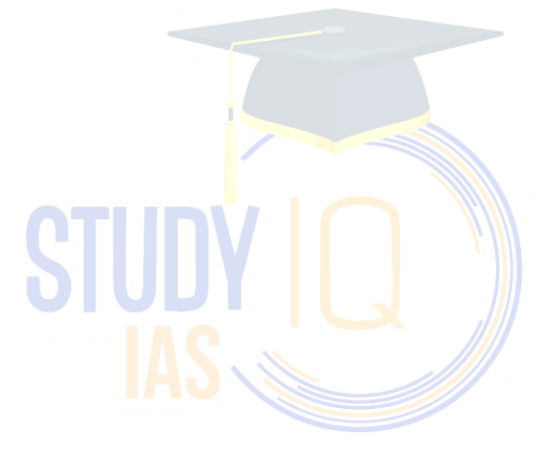
न्यायिक रुख -

- **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006):** सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरजातीय जोड़ों के विरुद्ध हिंसा की निंदा की; सम्मान के नाम पर हत्या को "बर्बर" कहा।
- **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर (2010):** सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर किलिंग के दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।
- **अरुमुगम सेरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य (2011):** माता-पिता अंतरजातीय विवाह के लिए बच्चों को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें परेशान नहीं कर सकते।
- **शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018):**
 - सम्मान के नाम पर हत्या = मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।
 - विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने और संकटग्रस्त जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

सुधार के प्रयास -

- **गैरकानूनी जमावड़े पर रोक (वैवाहिक गठबंधन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) विधेयक, 2011:** स्व-इच्छा से विवाह के विरुद्ध खाप पंचायत के नेतृत्व वाली गैरकानूनी जमावड़ों को लक्षित किया गया; अधिनियमन के बिना ही निरस्त हो गया।
- **विधि आयोग की 242वीं रिपोर्ट (2012):** जांच, अभियोजन और दंड के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ एक अलग ऑनर किलिंग विरोधी कानून की सिफारिश की गई।

स्रोत: [द हिंदू](#)



जेलीफ़िश परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को कैसे बाधित करती हैं

संदर्भ

- 1990 के दशक से, दुनिया भर में कई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को जेलीफ़िश द्वारा शीतलन प्रणालियों को अवरुद्ध करने के कारण बंद करना पड़ा है।
 - हाल के वर्षों में, ऐसे व्यवधानों की आवृत्ति बढ़ी है, जिसका कारण जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण है, जिसने जेलीफ़िश की आबादी में तेज़ वृद्धि की है।

जेलीफ़िश क्या हैं?

- प्रकृति:** जेलीफ़िश मुलायम शरीर वाले, रीढ़विहीन समुद्री जीव हैं जो निडेरिया संघ (Phylum Cnidaria) से संबंध रखते हैं।
- संरचना:** इनमें एक जिलेटिनस छतरी के आकार की घंटी और पीछे की ओर लटकते हुए स्पर्शक होते हैं, जो शिकार को पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली डंक मारने वाली कोशिकाओं (सीनिडोसाइट्स) से लैस होते हैं।
- प्रजनन:** ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों (जैसे गर्म पानी और प्रचुर मात्रा में प्लवक) में, इनकी आबादी तेज़ी से बढ़ सकती है और बड़े झुंड बन सकते हैं।
- अनुकूलनशीलता:** कई समुद्री जानवरों के विपरीत, जेलीफ़िश कम ऑक्सीजन और प्रदूषित पानी में जीवित रह सकती है, जो उन्हें खराब पारिस्थितिकी प्रणालियों में बढ़त देता है।

जेलीफ़िश परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को कैसे बाधित करती हैं -

- शीतलन जल की आवश्यकता:** परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को रिएक्टरों, टर्बाइनों और कंडेनसरों को ठंडा करने के लिए निकटवर्ती समुद्रों, नदियों या झीलों से पानी के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है।
 - प्रवेश पाइप प्रति मिनट लाखों गैलन पानी खींचते हैं, तथा मलबे और समुद्री जीवन को रोकने के लिए बनाए गए स्क्रीनिंग क्षेत्रों से गुजरते हैं।
- जेलीफ़िश झुंड की समस्या:** जब तटीय परमाणु संयंत्रों के पास बड़े पैमाने पर ब्लूम होता है, तो लाखों जेलीफ़िश सेवन पाइपों में फंस जाती हैं।
 - वे कुछ ही मिनटों में स्क्रीन को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है।
- रुकावट के परिणाम:** शीतलन जल की आपूर्ति कम होने से अधिक गर्मी का खतरा बढ़ जाता है।
 - टर्बाइन, कंडेनसर और बॉयलर जैसे महत्वपूर्ण घटक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
 - दुर्घटनाओं से बचने के लिए रिएक्टरों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ता है।
- मृत जेलीफ़िश समस्या:** मृत जेलीफ़िश अक्सर एक जिलेटिनस द्रव्यमान में बदल जाती है जो स्क्रीन से फिसल सकती है और शीतलन प्रणाली के अंदर समस्याएं पैदा कर सकती है।
- परिचालन चुनौतियाँ:** अवरुद्ध प्रवेश पाइपों को साफ करना जटिल और खतरनाक है।
 - जेलीफ़िश हटाते समय श्रमिकों को डंक का सामना करना पड़ सकता है।
 - कुछ मामलों में, सफाई में दो दिन तक का समय लग सकता है, जिससे बिजली की भारी हानि हो सकती है और वित्तीय नुकसान भी हो सकता है।

घटनाएँ क्यों बढ़ रही हैं?

- जलवायु परिवर्तन:** गर्म पानी प्लवक (जेलीफ़िश का भोजन) को बढ़ाता है और प्रजनन काल को बढ़ाता है।
- अत्यधिक मछली पकड़ना:** शिकारियों (जैसे ट्यूना और कछुए) की कमी के कारण जेलीफ़िश की आबादी में वृद्धि हो रही है।
- प्लास्टिक प्रदूषण:** प्लास्टिक का मलबा जेलीफ़िश को प्रजनन के लिए सतह प्रदान करता है, जिससे वे समुद्र तटों और परमाणु संयंत्रों के करीब पहुंच जाते हैं।
- प्रदूषण सहनशीलता:** जेलीफ़िश कम ऑक्सीजन वाले, खराब समुद्री वातावरण में पनप सकती है, जहां अन्य प्रजातियाँ संघर्ष करती हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

संपादकीय सारांश

ECI नियुक्तियों में न्यायिक सुरक्षा बहाल करने की आवश्यकता

संदर्भ

- सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने यह सवाल उठाया है कि विपक्ष ने मतदाता सूची से संबंधित चिंताओं को लेकर औपचारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया।
- विपक्ष की यह झिझक हाल ही में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानूनी और संस्थागत ढाँचे में हुए बदलाव से जुड़ी है।

2023 का अधिनियम -

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 सर्वोच्च न्यायालय के अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए पारित किया गया।
- इस अधिनियम ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को ECI चयन समिति से हटा दिया और उनके स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया।
- इससे नियुक्तियों पर कार्यकारी नियंत्रण मजबूत हुआ।

न्यायिक घटनाक्रम -

- इस अधिनियम को कई रिट याचिकाओं के माध्यम से कानूनी चुनौती दी गई।
- याचिकाकर्ताओं ने स्थगन की मांग की, लेकिन डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ (2024) में, सुप्रीम कोर्ट ने कानून की वैधता की धारणा का हवाला देते हुए इनकार कर दिया।
- परिणामस्वरूप, 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनाव 2023 अधिनियम द्वारा गठित ECI के तहत आयोजित किए गए।

यह क्यों मायने रखता है?

- अनूप बरनवाल मामले में संविधान पीठ ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नियुक्तियों को कार्यपालिका के विशेष नियंत्रण से बाहर करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
- निर्णय में यह माना गया कि एक लचीला ECI सत्ता में बैठे लोगों का पक्ष लेकर लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है।
- 2023 के कानून पर रोक न लगाकर, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से अपनी ही मिसाल को कमजोर कर दिया और ECI को "कार्यपालिका के अधीन" रहने की अनुमति दे दी।

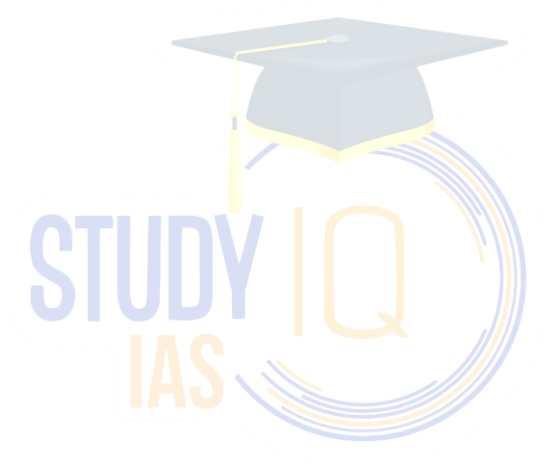
तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य -

- विश्व स्तर पर, विद्वानों (लैंडौ और डिक्सन, 2020) ने उल्लेख किया है कि कैसे अदालतें कभी-कभी चुनावों से पहले हेरफेर को वैध बनाकर सत्तावादी शासन की सहायता करती हैं।
- वेनेजुएला और बोलीविया जैसे देशों में अदालतों ने चुनावी धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया, जबकि अनूप बरनवाल जैसे सतर्कता के दुर्लभ उदाहरण न्यायपालिका द्वारा लोकतंत्र की रक्षा करने को दर्शाते हैं।
- चौथी शाखा संस्थान:**
 - आधुनिक संविधान (जैसे, दक्षिण अफ्रीका) लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निर्वाचन आयोग जैसे स्वतंत्र "चौथी शाखा" निकायों का निर्माण करते हैं।
 - भारत का संविधान इस बारे में मौन है, लेकिन बरनवाल मामला इस अंतर को भरने के लिए रचनात्मक व्याख्या का एक उदाहरण है।
 - संसद के 2023 अधिनियम ने इस सुरक्षा उपाय को वापस ले लिया, तथा न्यायालय के हस्तक्षेप से इनकार ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया।

आगे की राह -

- लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आवश्यक है:
 - बरनवाल सिद्धांत को पुनः स्थापित करना (चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश)।
 - 2023 अधिनियम को निरस्त करना।
 - एक सच्चे स्वतंत्र **ECI** की स्थापना करना जो "सत्य आयोग" के रूप में चुनावी अनियमितताओं की जांच करने में सक्षम हो।

स्रोत: [द हिंदू](#)



भारत-नामीबिया संबंध: जुड़ाव का एक नया मॉडल

संदर्भ

जुलाई 2024 में नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जन-केंद्रित कूटनीति का परिचय दिया—स्थानीय कवियों के उद्धरण दिए, वेल्विचिया मिराबिलिस (राष्ट्रीय पौधा) और स्प्रिंगबोक जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का उल्लेख किया, तथा ओशिवाम्बो भाषा के वाक्यों का प्रयोग किया।

भारत का तीन-चरणीय कूटनीतिक तर्क -

- **साझा ऐतिहासिक एकजुटता**
 - उपनिवेशवाद विरोधी विरासत और मुक्ति संघर्षों को उजागर करना।
 - **नामीबिया की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका:** SWAPO के प्रथम राजनयिक कार्यालय की मेजबानी तथा संक्रमण के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की कमान भारतीय जनरल प्रेम चंद के हाथों में।
 - यह एपिसोडिक पश्चिमी उपस्थिति बनाम "दीर्घकालिक" सहभागिता की विश्वसनीयता का निर्माण करता है।
- **वर्तमान व्यावहारिक सहयोग**
 - **द्विपक्षीय व्यापार:** ~800 मिलियन डॉलर।
 - भारत की अफ्रीका भर में 12 बिलियन डॉलर की व्यापक विकास साझेदारी।
 - **प्रमुख परियोजनाएँ:**
 - एनयूएसटी में आईटी में भारत-नामीबिया उत्कृष्टता केंद्र।
 - ओंगवेडिवा परिसर में "इंडिया विंग" (12 मिलियन डॉलर द्वारा वित्त पोषित)।
 - आईटी में क्षमता निर्माण नामीबिया की युवा, तकनीक-तैयार आबादी के अनुरूप है।
- **भविष्योन्मुखी ज्ञान साझेदारियाँ**
 - **नामीबिया:** भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश।
 - तकनीकी प्रशासन में भारत के नियामक मॉडल और संस्थागत डिजाइन का भी संभावित हस्तांतरण।
 - दक्षिण-दक्षिण सहयोग के एक स्तंभ के रूप में तकनीकी कूटनीति के उदय का संकेत।

भारत के लिए नामीबिया का सामरिक महत्व -

- **स्थिरता एवं संसाधन:** राजनीतिक रूप से स्थिर, यूरेनियम और अन्य खनिजों से समृद्ध, बढ़ता हुआ तकनीकी आधार।
- **दृष्टिकोण में संरेखण:** नामीबियाई नेतृत्व ने अधिक निष्पक्ष वैश्विक वित्तीय प्रणालियों और दक्षिण-दक्षिण एकजुटता के लिए भारत के आह्वान को दोहराया।
- **वैश्विक दक्षिण की भूमिका:** अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नया रूप देने में समान विचारधारा वाले भागीदार के रूप में देखा जाता है।

अंतराल और छूटे हुए अवसर -

- **प्रतीकवाद बनाम तथ्य:** लगभग 30 वर्षों में पहली भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा से केवल मामूली परिणाम सामने आए - दो समझौता ज्ञापन (उद्यमिता और स्वास्थ्य), नामीबिया का ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस और सीडीआरआई में शामिल होना।
- **महत्वपूर्ण खनिज अंतराल:** नामीबिया की शीर्ष यूरेनियम उत्पादक के रूप में स्थिति के बावजूद, संसाधन सहयोग पर कोई ठोस रणनीतिक रूपरेखा को अंतिम रूप नहीं दिया गया (जैसे, मूल्य संवर्धन, कार्यबल प्रशिक्षण, लचीली आपूर्ति श्रृंखला)।
- **निरंतरता की समस्या:** भारत की अफ्रीका के साथ भागीदारी में ऐतिहासिक रूप से लम्बे अंतराल देखे गए हैं, जिससे निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

आगे की राह -

- **प्रतीकात्मकता से परे:** भारत को निरंतर, संस्थागत सहभागिता की आवश्यकता है, न कि केवल प्रसंगवश किए जाने वाले संकेतों की।
- **भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन:** आगामी शिखर सम्मेलन एक मंच हो सकता है:
 - सहयोग ढाँचे को औपचारिक बनाना।
 - ज्ञान साझेदारी (डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा) का विस्तार करना।
 - महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में सहयोग सुनिश्चित करना।
- **विश्वसनीयता परीक्षण:** वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में भारत की भूमिका न केवल प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करती है, बल्कि वितरण, स्थिरता और समावेशिता पर भी निर्भर करती है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

